



chayn bhavn, men rod n. 1, chinarn park (ईस्ट), भोपाल – 462011

फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498

ई-मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in

f}o"khz; i 'kq kyu i =ksi kf/k i jh{kk&2015

Diploma in Animal Husbandary Entrance Test - 2015

ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	24.03.2015	
ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि	22.04.2015	
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि	23.04.2015	
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि	25.04.2015	
परीक्षा दिनांक व दिन	17-05-2015 (रविवार)	
परीक्षा शुल्क	अनारक्षित के लिए :-	रु. 400/-
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए :-	रु. 200/-
ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने वाले सभी अभ्यर्थियों को एम.पी. ऑनलाईन का पोर्टल शुल्क : - 70@& देय होगा।		

l e; l kj . kh

परीक्षा, दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियों भरने का समय	प्रश्न-पत्र वितरण समय	प्रश्न-पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
17.05.2015 रविवार	अपरान्ह 03.00 बजे से	अपरान्ह 03:00 बजे से	अपरान्ह 03:00 से 03:10 बजे तक (10 मिनट)	अपरान्ह 03:10 बजे	अपरान्ह 03:10 से 03:15 बजे तक (05 मिनट)	अपरान्ह 03:15 से 05.15 बजे तक (2:00 घंटे)

fVli .kh %&

- परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट पश्चात तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
- परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा एवं व्हाईटनर आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
- ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन, परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र के साथ साथ मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, अंकसूची मय फोटोग्राफ, बैंक पासबुक मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक अथवा उसके द्वारा अतिरिक्त रूप से चयनित अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
- अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्तानुसार फोटोयुक्त पहचान पत्र परीक्षा तिथि पर साथ नही लाने की स्थिति में ही मण्डल द्वारा जारी प्रवेश-पत्र (टी.ए.सी.) के द्वितीय भाग में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में प्रयोग किया गया फोटो लगाकर राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा, परीक्षार्थी को तभी परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्रता होगी।

f}o"khZ; i 'kq kyu i =ksi kf/k i jh{kk&2015

Diploma in Animal Husbandary Entrance Test - 2015

fo"k; I ph

I - Øa	v/; k;	fooj.k	fu; e Øekd
1	01	मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश	03-13
2	02	नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) हेतु विभागीय नियम	14-23
5	03	प्रारूप	24-25
6	04	पाठ्यक्रम	26-27

v/; k; & 1

e/; i ns' k 0; kol kf; d ijh{kk e.My] Hkks' ky ds ijh{kk l pkyu , oa fun' k
[k.M&v

- 1-1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
(ii) आनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
(iii) i nks' dh l d[; k ea vko'; drku' kj deh ; k of) dh tk l drh gA
- 1-2 (i) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अनिवार्य रूप से होने चाहिये।
(ii) आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी।
(iii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
(iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।
(v) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

1-3 ijh{kk gky ea ys tkus grq vko'; d l kexh %&

- (i) मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।
(ii) काला बॉलप्वाइंट पेन।
(ii) फोटोयुक्त पहचान पत्र – मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, अंकसूची मय फोटोग्राफ, बैंक पासबुक मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य।
(iv) यदि आवेदक द्वारा उपरोक्त के अलावा अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का चयन किया जाता है तो वह कौन सा दस्तावेज है इसकी जानकारी अतिरिक्त सह-आई.डी. के रूप में प्रदान करनी होगी। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
(v) अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्तानुसार फोटोयुक्त पहचान पत्र परीक्षा तिथि पर साथ नही लाने की स्थिति में ही मण्डल द्वारा जारी प्रवेश-पत्र (टी.ए.सी.) के द्वितीय भाग में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में प्रयोग किया गया फोटो लगाकर राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा, परीक्षार्थी को तभी परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्रता होगी।

1.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात् Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener आदि पूर्णतः वर्जित है।

1-5 fyf[kr ijh{kk ea fu% kDr tu vH; fFk; ka ds fy, mi yC/k l fo/kk, j %&

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :-

(i) ; g I fo/kk fuEufyf[kr vH; fFkz ka dks i nku dh tkosxh %&

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
5. निशक्तजन अभ्यर्थियों की बैठक व्यवस्था परीक्षा केन्द्र में भूतल पर ही अनिवार्य रूप से की जायेगी। इसके साथ ही रैम्प का निर्माण भी यथासम्भव किया जायेगा।

(ii) ys[ku fyfi d dh I fo/kk %&

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यर्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(iii) ys[ku fyfi d dh fu; fDr grq 'kr %&

1. लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से एक निचली कक्षा का होना चाहिए।
2. लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ-पत्र सहित संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्र अधीक्षक को अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाकर परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित अनुमति प्रदान किया जाना अनिवार्य होगी।

(iv) bl ds vfrfjDr ink; dh tkus okyh I fo/kk, %&

1. परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाएँ मुफ्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए मण्डल द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जावेगा।
2. ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्षा यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

1-6 i Ds k&i = i klr djus dh i fO; k %&

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र मण्डल की वेबसाइट **www.vyapam.nic.in** से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

ukV& प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

1-7 i jh{kk i Ds k&i = (Test Admit Card) :-

- (i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाइट **www.vyapam.nic.in** पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे।

- (ii) मण्डल की वेबसाईट पर जारी किया गया टेस्ट एडमिट कार्ड दो-भागों में जारी किया जायेगा जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।
- (iii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।
- (iv) आवेदक यदि आवेदन पत्र में उल्लेखित अनुसार फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ उपस्थित नहीं होता है तो उसे मण्डल के टेस्ट एडमिट कार्ड के द्वितीय भाग में पूर्व में प्रेषित ऑनलाईन आवेदन पत्र वाला फोटो लगाकर उसे राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने के पात्रता नहीं होगी तथा इस प्रकार के अभ्यर्थियों को 'रासा' में अनुपस्थित अंकित किया जायेगा।
- (v) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि अंकित करना होगी। प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

1.8 मूल्यांकन पद्धति :-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

1-9 = [V i w k i t u] m l d k f u j L r h d j . k , o a c n y s e a f n ; k x ; k v d % &

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

- (i) प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
- (ii) प्रश्न की संरचना गलत हो।
- (iii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
- (iv) कोई भी विकल्प सही न हो।
- (v) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
- (vi) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
- (vii) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये।
- (ix) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

mnkgj . k 01 :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83 \text{ rounded off to } 92.00$$

mnkgj . k 02 :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89 \text{ rounded off to } 142.00$$

mnkgj.k 03 :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{190 \times 200}{(200 - 2)} = 191.91 \text{ rounded off to } 192.00$$

उक्त सभी गणना को दशमलव के दो अंको तक राउंडऑफ किया जायेगा।

1.10 प्रश्नपुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :-

- (i) प्रश्न-पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।
- (ii) बिन्दु क्रमांक 1.9 अनुसार मण्डल द्वारा प्रश्न-पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम "की" (आदर्श उत्तर) तैयार की जायेगी।
- (iii) आदर्श उत्तरों के संबंध में मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

1.11 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :-

- (i) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।
- (ii) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
- (iii) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।
- (iv) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।
- (v) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।
- (vi) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला-बदली करना।
- (vii) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।
- (viii) नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
- (ix) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
- (x) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
- (xi) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।
- (xii) उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा।
- (xiii) इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौंपा जायेगा और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
- (xiv) यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति

विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा।

- (xv) विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।
- (xvi) परीक्षार्थियों द्वारा ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स में व्हाईटनर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। मण्डल कार्यालय को व्हाईटनर लगी ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स प्राप्त होने से इन्हे स्केनर द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है जिससे तकनीकी रूप से स्केनरर्स में परेशानी होती है तथा इस प्रकार की कार्यवाही परीक्षा नियमों के भी विपरीत है। अतः व्हाईटनर के प्रयोग वाली ओ0एम0आर0 उत्तर शीटों के ऐसे प्रकरणों को यू0एफ0एम0 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 मान्य करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।
- (xvii) परीक्षार्थियों के विरुद्ध परीक्षा के पूर्व/दौरान/पश्चात परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जानें अथवा परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण में संलिप्त पाये जाने पर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 मान्य करते हुए संबंधित परीक्षार्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।

1-12 ijh{kk ifj.kke dk iɔk'ku %&

- (i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।
- (ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।
- (iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराया जावेगा।

1-13 ijh{kk ifj.kke %&

- (i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड किया जायेगा।
- (ii) तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणामका प्रेषण नहीं किया जायेगा।

1-13 e-iɔ 0; kol kf; d ijh{kk eMy dk dk; l iɔs'k@HkrhZ@i k=rk ijh{kkvka dk l pkyu , oa ml dk ifj.kke ?kkf"kr djuk ek= gksxk %&

- (i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा।
- (ii) मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।
- (iii) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिए जायेंगे।

1-14 U; kf; d {k=kf/kdkj %& परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

1-17 , e-i h- vkWuykbU fd; kLd ds ek/; e l s vkonu QkeZ Hkj us dh fof/k %&

- (i) एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा।
- (ii) कियोस्कधारक द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप भलीभांति भरकर देना होगा, जिसके आधार कियोस्कधारक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जावेगा।
- (iii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।
- (iv) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।
- (v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

1-18 vkWuykbU vkonu Hkj us ds l c/k ea funk %

- (i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण मीनू के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।
- (ii) i gpk u i = ds eh u e a ernkrk i gpk u i =] i sudkM] vk/kkj dkM] Mk; foax yk; l d] vdl l ph e; QkV/kxkQ] cfd ikl cpl e; QkV/kxkQ rFkk ikl iksV/ dk ito/kku j [kk x; k gA
- (iii) यदि आवेदक द्वारा अन्य पहचान पत्र का चयन किया जाता है rks og nLrkost dksu l k gs bl dh tkudkj h vfrfjDr l g&vkbMh ds : i ea i nku djuh gksxA
- (iv) vkond dks vkonu i = ea 'kjhj ds LFkk; h fplg rFkk ijh{kk ds l e; i Lrr fd; s tkus okys QkV/ks i gpk u i = dk fooj.k rFkk Øekad vfuok; l : i l s v fdr fd; k tkuk gksxA buds vHkko ea vkonu i = Lohdkj ugh gksxA
- (v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (vi) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णांक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।
- (vii) आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक पृथक से भी अंकित किये जाने का प्रावधान रखा जावेगा।

1-19 vkWuykbU vkonu&i = Hkj us dh 0; oLFkk %&

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.आनलाईन की www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।
- (ii) इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाइट्स से डेविट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्ट्रो कार्ड)/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।
- (iii) सीधी भर्ती-बैकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियों द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा।
- (iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

1-20 वक्रयकबु वकनु&i = Hkj us grq nks fodYi g& %&
 1/2 b&jus/ dQs }kjk 1D; kLd% 1/2 Lo; a ds dEl; Wj }kjk

(i) आवेदक वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध

Citizen

Services (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत

Application क्लिक कर

Vyapam लिंक में

परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी **funf k@Instructions**
 तथा परीक्षा **fu; e@Examination Rules** उपलब्ध होंगे।

(ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें।

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु **Link** के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्कैन कर **jpg** फॉर्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (**Attach**) करें।

(v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।

(vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

1/2 ØfMV@MfcV dkMZ

1/2 b&jus/ cfd&

1-21 ØfMV@MfcV dkMZ ds ek/; e l s i j h { k k ' k y d d k H k q r k u % &

(i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

(ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

(iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

1-22 b&jus/ cfd& ds ek/; e l s i j h { k k ' k y d d k H k q r k u % &

(i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।

(ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

1-23 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **Unpaid Application** लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति

प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

1-24 fu/kkfjr frffk ea tek fd, x, vkkWykbLu vkonu i = ea l d kks/ku dh 0; oLFkk

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-
- (ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।
- (iii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।
- (iv) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।
- (v) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।
- (vi) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।
- (vii) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।
- (viii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (ix) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, व्यापम आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- (x) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा व किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। इस संबंध में मण्डल द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा।

1-25 , d l s vf/kd vkkWykbLu vkonu&i = Hkjus l x/kh funrk k %&

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन-पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते हैं ? यदि आवेदक द्वारा "हाँ" विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा।
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प "हाँ" का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त

होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।

- (iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन-पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।

1-26 **वकील्यकबु वkonu&i = dk fujLrhdj.k %&**

- (i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण मण्डल स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (iii) इस संबंध में मण्डल द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

1-27 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 4019400 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

1.28 अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष की 31 दिसम्बर की स्थिति में की जावेगी। इसके अतिरिक्त विभागीय नियमों में यदि कोई विशिष्ट प्रावधान रखे गये हैं तो वे मान्य होंगे।

1.29 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

[k.M&I

1-31 vkonu i = Hkj us dh l e; kof/k

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
24.03.2015	22.04.2015	30	23.04.2015	25.04.2015	03

1-32 fyf[kr ijh{kk dk fooj.k

स.क्र.	परीक्षा	दिनांक	दिन	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	प्रश्न पत्र	17.05.2015 (रविवार)	रविवार	02 घंटे	अपरान्ह 03:00 बजे से 05:15 बजे तक	100

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे।

परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा।

1-33 (i) ijh{kk 'kq'd %&

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	(म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)		सीधी भर्ती बैकलॉग के अभ्यर्थियों के लिये	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क
			अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये	निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये		
01-	, d	400 / -	200 / -	200 / -	fuj d	70 @ &

(ii) l d kks/ku fd; s tkus ij ns 'kq'd

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर	
		शुल्क	पोर्टल शुल्क
01-	, d	100 / -	50 / -

1-34 ijh{kk 'kgj %&

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। अभ्यर्थियों की शहरवार संख्या के आधार पर एवं मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है।

क्रं.	लिखित परीक्षा केन्द्र	क्रं.	लिखित परीक्षा केन्द्र
1.	जबलपुर	3.	रीवा
2.	इन्दौर	4.	ग्वालियर
5.	भोपाल		

1-35 i kB; Øe dk Lrj %&

10+2 पद्धति की 12 वी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो (नियम पुस्तिका के पृष्ठ क्र. 16 के 4.4.1 अनुसार)

v/; k; &2

ukukth n's keŋk i 'kŋpfdRI k foKku fo' ofo | ky;] tcyij ½e-i½

lk' kŋ kyu fMlykək i d's k fofu; e 2015

नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 (क्रमांक 16 सन् 2009) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा प्रदेश के 05 पशुपालन महाविद्यालयों/प्रशिक्षण संस्थानों में द्विवर्षीय पशुपालन पत्रोंपाधि पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु नियम

1-l f{kIr uke %&

इन विनियमों का संक्षिप्त नाम पशुपालन पत्रोंपाधि पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2015-16 है।

2

i fj Hkk"kk, %&

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

- 2.1 "अधिनियम" से अभिप्रेत है, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम (क्रमांक 16 सन् 2009);
- 2.2 "प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के लिए तथा प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस के निर्धारण के लिए नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा गठित विद्या परिषद्
- 2.3 "उपाबंध" से अभिप्रेत है इन विनियमों से संलग्न उपाबंध
- 2.4 "सामान्य प्रवेश परीक्षा" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकरण द्वारा एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से पशु पालन पत्रोंपाधि प्रशिक्षण संस्थानों में गुणानुक्रम आधारित प्रवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीकृत परामर्श द्वारा अनुसरित अभ्यर्थियों के गुणानुक्रम के लिए संचालित कोई प्रवेश परीक्षाय
- 2.5 "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी
- 2.6 "फीस" से अभिप्रेत है, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में उल्लेखित प्रावधानों के अधीन गठित विनियामक समिति द्वारा निर्धारित फीस
- 2.7 "संस्था प्रमुख" से अभिप्रेत है, जो महाविद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान का प्रमुख
- 2.8 "अर्हकारी परीक्षा" से अभिप्रेत है, उस न्यूनतम अर्हता की परीक्षा जिसको उत्तीर्ण करने पर कोई अभ्यर्थी इन विनियमों में यथाविहित सुसंगत पत्रोंपाधि (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहने हेतु हकदार होता है
- 2.9 "एकल खिड़की प्रणाली" से अभिप्रेत है, ऐसी प्रणाली, जिसके द्वारा सभी संस्थाओं में उपलब्ध स्थान, सामान्य केन्द्रीकृत परामर्श (काउन्सलिंग) के माध्यम से सामान्य प्रवेश परीक्षा के गुणागुण के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों को प्रस्थापित किए जाते हैं
- 2.10 "व्यापम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 2.11 उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन विनियमों में प्रयुक्त की गई हैं, किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है।

3-

ykxw gkuk%&

ये नियम नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा संचालित पशुपालन पत्रोंपाधि पाठ्यक्रम हेतु अधिसूचित महाविद्यालयों/प्रशिक्षण संस्थानों को लागू होंगे।

4-i d's k fu; e%&

वर्ष 2015-16 से एवं आगे के लिए प्रवेश नियम—

समस्त पशुपालन पत्रोंपाधि प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:—

- 4.1 विभिन्न पत्रोंपाधि प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु संभावित संस्थावार स्थानों की संख्या निम्नानुसार होगी

rkfydk &1

स.क्र.	संस्था का नाम	स्थानों की संख्या
1	पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर	61
2	पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, महु	61
3	पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, रीवा	60
4	कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल	59
5	प्रस्तावित सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, प्रशिक्षण संस्थान, मुरैना	59
	कुल योग	300

4.2 LFkkuka dk vkol/u@vkj {k.k&

प्रत्येक संस्था में कुल उपलब्ध स्थानों में से 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग की प्रवर्गों के क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा क्रमशः आरक्षित रखे जायेंगे। विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो तो उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में परामर्श के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा (तालिका 2)।

rkfydk & 2

I LFkkokj vkj {k.k

स. क्र.	संस्था का नाम	सामान्य	एस. सी.	एस. टी.	ओ.बी.सी.
1	पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर	30	10	12	9
2	पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, महु	30	10	12	9
3	पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, रीवा	30	10	12	8
4	कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल	30	09	12	8
5	प्रस्तावित सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, प्रशिक्षण संस्थान, मुरैना	30	09	12	8
	कुल योग	150	48	60	42

विभिन्न श्रेणियों की 20 प्रतिशत सीटों में प्रवेश भुगतान फीस (पेमेन्ट सीट) द्वारा किया जायेगा।

Rkkfydk 02 ea I hVka dk vkj {k.k Js kh okj fuEukuq kj gksxkA

फी सीट का आवंटन एवं आरक्षण

क्र.	संस्थान का नाम	अना.		अ.जा.		अ.ज.जा.		अ.पि.व.		कुल सीटें	
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला
1.	पशुपालन पत्रोपाधि संस्थान, जबलपुर	24	08	08	03	09	03	07	02	48	16
2.	पशुपालन पत्रोपाधि संस्थान, महु	24	08	08	02	09	03	07	02	48	15
3.	पशुपालन पत्रोपाधि संस्थान, रीवा	24	07	08	02	10	03	06	02	48	14
4.	पशुपालन पत्रोपाधि संस्थान, भोपाल	24	07	07	02	10	03	07	02	48	14
5.	पशुपालन पत्रोपाधि संस्थान, मुरैना	24	07	07	02	10	02	07	02	48	13
	कुल योग	120	37	38	11	48	14	34	10	240	72

पेमेंट सीट का आवंटन एवं आरक्षण

क्र.	संस्थान का नाम	अना.		अ.जा.		अ.ज.जा.		अ.पि.व.		कुल सीटें	
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला
1.	पशुपालन पत्रोपाधि संस्थान, जबलपुर	07	02	02	—	02	01	02	01	13	04
2.	पशुपालन पत्रोपाधि संस्थान, महु	07	02	02	01	02	01	02	—	13	04
3.	पशुपालन पत्रोपाधि संस्थान, रीवा	06	02	02	01	02	01	02	—	12	04
4.	पशुपालन पत्रोपाधि संस्थान, भोपाल	05	02	02	—	03	01	01	—	11	03
5.	पशुपालन पत्रोपाधि संस्थान, मुरैना	05	01	02	01	03	—	01	01	11	03
	कुल योग	30	09	10	03	12	04	08	02	60	18

4.3 vkj{kr LFkkuk dk ifjorl

आरक्षित स्थानों हेतु उपयुक्त उम्मीदवार न उपलब्ध होने की स्थिति में रिक्त स्थानों की पूर्ति दूसरे संवर्ग से निम्नानुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जा सकेगी—

- 4.3.1 अनुसूचित जन जाति संवर्ग का योग्य उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में आरक्षित स्थान के रिक्त स्थान की पूर्ति अनुसूचित जाति के उम्मीदवार से की जावेगी।
- 4.3.2 अनुसूचित जाति संवर्ग का योग्य उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में रिक्त स्थान की पूर्ति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार से की जा सकेगी।
- 4.3.3 अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति के आरक्षित स्थानों हेतु उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में रिक्त स्थानों की पूर्ति अन्य पिछड़ा वर्ग के उपयुक्त उम्मीदवारों से की जा सकेगी।
- 4.3.4 उपरोक्तांकित तीनों आरक्षित संवर्ग के उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में रिक्त स्थानों को अनारक्षित संवर्ग में परिवर्तित करते हुए अनारक्षित संवर्ग के उपयुक्त उम्मीदवारों से पूर्ति की जा सकेगी।

4.4 iDk dsfy, ik=rk &

नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किए गए अनुसार।

4.4.1 'k{kf.kd vgrk%&

माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल की हायर सेकण्ड्री 10+2 प्रणाली विज्ञान विषय (जीव विज्ञान/गणित/कृषि) की 12वीं परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिये। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 5 प्रतिशत अंकों की शिथिलता दी जायेगी।

4.4.2 iDk grq vk; q l hek

अभ्यर्थी की आयु सीमा उस वर्ष 31 दिसम्बर की स्थिति में न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष होना अनिवार्य है। महिला, अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु उच्चतर आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की गई अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।

4.5 iDk dh jhfr %&

नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल के माध्यम से प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा तथा व्यावसायिक परीक्षा मंडल उक्त परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर गुणागुण/प्रतीक्षा सूची तैयार कर विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेगा।

4.6 i dsk dh ifØ; k %&

- 4.6.1 समस्त पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालयों/प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा व्यापम के माध्यम से संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा में क्रम स्थापना (रैंकिंग) के आधार पर योग्यता क्रम में एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से दिया जाएगा।
- 4.6.2 ऐसे समस्त प्रवेश, सक्षम प्राधिकारी द्वारा संचालित केन्द्रीकृत परामर्श (काउन्सलिंग) के माध्यम से दिए जाएंगे, सक्षम अधिकारी द्वारा 5 सदस्यों की समिति निम्नुसार बनाई जायेगी।

01	अधिष्ठाता संकाय, ना.दे. पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर	अध्यक्ष
02	परीक्षा नियंत्रक, ना.दे. पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर	सदस्य
03	शिक्षण निर्देशक, ना.दे. पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर	सदस्य
04	अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर	सदस्य/सचिव
05	अधिष्ठाता छात्र कल्याण, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर	सदस्य

- 4.6.3 संस्था का प्रबंधन अधिसूचना/विज्ञापन जारी नहीं करेगा और प्रवेश के लिए पृथक रूप से या व्यक्तिशः आवेदन नहीं मंगाएगा। तत्संबंध में विश्वविद्यालय विहित प्रक्रिया के अधीन कार्यवाही करेगा।
- 4.6.4 यदि कोई अभ्यर्थी परामर्श (काउन्सलिंग) हेतु स्वयं उपस्थित होने में असफल रहता है या विहित प्रारूप में सुसंगत मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह स्थान तथा संस्था में चयन का अपना दावा खो देगा/ देगी। तथापि, यदि वह पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर दस्तावेज पेश कर देता है, तो उसे परामर्श (काउन्सलिंग) के लिए विचारण में लिया जा सकेगा, ऐसी दशा में, वह उस समय उपलब्ध स्थान तथा संस्था के चयन का हकदार होगा/होगी। यदि कोई अभ्यर्थी परामर्श (काउन्सलिंग) के अंतिम दिन को भी उपस्थित नहीं होता है, तो यह समझा जाएगा कि वह प्रवेश लेने में इच्छुक नहीं है तथा प्रवेश का अधिकार समाप्त हो जाएगा।
- 4.6.5 यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण परामर्श (काउन्सलिंग) की तारीख पर स्वयं उपस्थित होने में असफल रहता है तथा वह चिकित्सालय में भर्ती है, तो उसके संरक्षक/अभिभावक को उसकी ओर से परामर्श (काउन्सलिंग) में उपस्थित होने हेतु अनुज्ञा दी जा सकेगी, बशर्ते कि संबंधित अभ्यर्थी बीमारी तथा चिकित्सालय में भर्ती होने के सबूत के रूप में संबंधित सी.एम.ओ./सिविल सर्जन द्वारा जारी किए चिकित्सा प्रमाणपत्र फोटो के साथ इस आशय का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करें। यदि बाद में यह पाया गया कि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी गलत थी, तो प्रवेश रद्द किए जाने योग्य होगा।
- 4.6.6 कोई अभ्यर्थी परामर्श (काउन्सलिंग) के दिन किसी संस्था में एक बार प्रवेश ले लेता है, तो उसे परामर्श (काउन्सलिंग) के उसी चरण में परिवर्तन किए जाने हेतु अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।
- 4.6.7 यदि परामर्श (काउन्सलिंग) के माध्यम से किसी विशिष्ट संस्था में अभ्यर्थी ने एक बार प्रवेश लिया है, तो संस्था के अंतरण हेतु अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- 4.6.8 यदि परामर्श (काउन्सलिंग) का पश्चात्वर्ती चक्र होता है, तो प्रथम चक्र के दौरान छूट गए अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा तथा रिक्त स्थान होने पर गुणागुण और प्राथमिकता के आधार पर संस्था आबंटित की जाएगी।
- 4.6.9 सफल अभ्यर्थियों को परामर्श (काउन्सलिंग) के समय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस जमा करना होगी। फीस, परामर्श (काउन्सलिंग) अभिकरण में जमा की जाएगी।

4.7 i dsk dk jnñ fd; k tkuk %&

- 4.7.1 यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।
- 4.7.2 परामर्श (काउन्सलिंग) के उपरान्त योग्य अभ्यर्थियों को पशुपालन डिप्लोमा में प्रवेश हेतु अवश्यक फीस जमा करनी होगी। जमा की गई फीस किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगी।

- 5- शिक्षण तथा अन्य फीस का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा काउन्सिलिंग तिथि के समय घोषित किया जावेगा।
- 6- नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय किसी भी उपबंध/नियम/प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 7- किसी भी विवाद के मामले में अधिकारिता केवल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर तक ही सीमित रहेगा।

NANAJI DESHMUKH PASHU CHIKITSA VIGYAN VISHWAVIDYALAYA, JABALPUR

ANIMAL HUSBANDRY DIPLOMA ADMISSION REGULATIONS, 2015

In exercise of the powers conferred by the Nanaji Deshmukh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya Act, 2009 (No. 16 of 2009), Madhya Pradesh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya hereby makes the following Rules relating to eligibility of admission in two year's Animal Husbandry Diploma course in 05 Animal Husbandry colleges/training institutes of the State:

1. Short title:-

These Regulations may be called as Animal Husbandry Diploma Course Admission Rules, 2015.

2. Definitions:-

In these Rules, unless the context otherwise requires--

- 2.1 "Act" means the Nanaji Deshmukh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2009 (No. 16 of 2009);
- 2.2 "Admissions and Fee Regulatory Committee" means the Academic Council constituted by the Vishwavidyalaya under the Act for the supervision and guidance of admission process and for the fixation of fee to be charged from candidates seeking admission in training institutes of university;
- 2.3 "Annexure" means Annexure appended to these rules;
- 2.4 "Common Entrance Test" means an entrance test, conducted for determination of merit of the candidates followed by centralized counseling for the purpose of merit based on admission to training institutes of the university through a single window procedure by the Vishwavidyalaya;
- 2.5 "Competent Authority" means any authority as authorized by the Vishwavidyalaya in this behalf;
- 2.6 "Fee" means, constitution of Fees Regulation Committee as per provisions of Nanaji Deshmukh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya, Act 2009;
- 2.7 "Institutional" head means Head of the institution of college/training institute;
- 2.8 "Qualifying Examination" means the examination of the minimum qualification, passing of which entitles one to seek admission into the relevant diploma course as prescribed in these rules;
- 2.9 "Single Window System" means a system by which available seats in all the institutions are offered through Common Centralized Counseling to qualified candidates in the order of merit in the Common Entrance Test;
- 2.10 "Vyapam" means Madhya Pradesh Vyavasayik Pariksha Mandal, Madhya Pradesh Bhopal;
- 2.11 The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Applicability:-

These rules shall be applicable to notified colleges/institutes of Nanaji Deshmukh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya which are conducting Animal Husbandry Diploma course.

4. Admission Rules:-

Admission rules for year 2015-16 and onwards--

In all veterinary training institutions the procedure for admission for admission shall be as under:-

4.1 Availability of Seats:-

Number of seats available in various diploma training institutions shall be as follows (Table 1):-

Table-1

S.No	Name of Institution	Number of Seats
1.	College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Jabalpur	61
2.	College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Mhow	61
3.	College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Rewa	60
4.	A.I. Training Institute, Bhopal	59
5.	Proposed Assistant Veterinary Field officer Training Center, Morena	59
Grand total		300

4.2 Allocation/Reservation of seats:-

In every college/training institutions 16%, 20% and 14% seats of total seats shall be reserved for the candidates belonging to scheduled casts/scheduled tribes and other backward classes (excluding creamy layer of other backward classes category) respectively as notified by the State Government in this regard (Table 2).

Table-2
Institution wise reservation

S.No	Name of Institution	Gen.	SC	ST	OBC
1.	College of Vety. Sci. and A. H., Jabalpur	30	10	12	9
2.	College of Vety. Sci. and A. H., Mhow	30	10	12	9
3.	College of Vety. Sci. and A. H., Rewa	30	10	12	8
4.	A.I. Training Institute, Bhopal	30	09	12	8
5.	Proposed Assistant Veterinary Field officer Training Center, Morena	30	09	12	8
Grand Total		150	48	60	42
In different categories, 20% seats will be filled up through payment fees					

Free seat reservation

S. No.	Name of Institute	UR		SC		ST		OBC		Total Seats	
		Open	Female	Open	Female	Open	Female	Open	Female	Open	Female
1-	Animal Husbandry Diploma Centre, Jabalpur	24	08	08	03	09	03	07	02	48	16
2-	Animal Husbandry Diploma Centre, Mhow	24	08	08	02	09	03	07	02	48	15
3-	Animal Husbandry Diploma Centre, Rewa	24	07	08	02	10	03	06	02	48	14
4-	Animal Husbandry Diploma Centre, Bhopal	24	07	07	02	10	03	07	02	48	14
5-	Animal Husbandry Diploma Centre, Morena	24	07	07	02	10	02	07	02	48	13
	Total	120	37	38	11	48	14	34	10	240	72

Payment seat reservation

S. No.	Name of Institute	UR		SC		ST		OBC		Total Seats	
		Open	Female	Open	Female	Open	Female	Open	Female	Open	Female
1-	Animal Husbandry Diploma Centre, Jabalpur	07	02	02	—	02	01	02	01	13	04
2-	Animal Husbandry Diploma Centre, Mhow	07	02	02	01	02	01	02	—	13	04
3-	Animal Husbandry Diploma Centre, Rewa	06	02	02	01	02	01	02	—	12	04
4-	Animal Husbandry Diploma Centre, Bhopal	05	02	02	—	03	01	01	—	11	03
5-	Animal Husbandry Diploma Centre, Morena	05	01	02	01	03	—	01	01	11	03
	Total	30	09	10	03	12	04	08	02	60	18

4.3 Conversion of seats

In case, the eligible candidates to the extent of reservations in any category are not available, the vacant seats will be filled by making them available in other categories as given below :-

4.3.1 The vacant seats of ST category shall be filled up by the eligible SC category candidates.

4.3.2 The vacant seats of SC category shall be filled up by eligible ST category candidates.

4.3.3 In case, the eligible candidates to the extent of reservation in ST and SC categories are not available, the vacant seats shall be filled up by eligible OBC category candidate.

4.3.4 In case, the eligible candidates are not available in these above three reserved categories in the above manner, the vacant seats shall then be filled up by the eligible unreserved category candidates.

4.4 Eligibility for admission:--

As decided by the Competent Authority of Nanaji Deshmukh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya

4.4.1 Educational Qualification:-

Must have passed 12th higher secondary examination under 10+2 with science subject (Zoology/Mathematics/Agriculture) from Madhyamik Shiksha Mandal Madhya Pradesh, Bhopal with minimum 50% marks. Relaxation of 5% marks will be given to the candidates of SC/ST.

4.4.2 Age limit for admission:-

As on 31st December candidate must have attain the age of 17 years but not more then 28 years. The upper age limit shall be relaxable up to maximum limit of 5 years as prescribed by Government from time to time. If a candidate happens to be a woman, Scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes.

4.5 Manner of Admission:-

Common Entrance Test conducted by Nanaji Deshmukh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya through Madhya Pradesh Vyavasayik Pariksha Mandal. Madhya Pradesh Vyavasayik Pariksha Mandal shall prepare merit and waiting list on the basis of marks obtained by candidates in Common Entrance Test and shall provide to Vishwavidyalaya.

4.6 Procedure of Admission:-

4.6.1 The admission into all Animal Husbandry Diploma training college/institutions shall be made through single window system in the order of merit on the basis of ranking in Common Entrance Test conducted by the Madhya Pradesh Vyavasayik Pariksha Mandal, Bhopal.

4.6.2 All these admission shall be done through centralized counselling conducted by the Vishwavidyalaya. Five members committee as follows will be constituted by the competent authority.

1.	Dean, Faculty of Vety. Sci. & A.H., Nanaji Deshmukh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya, Jabalpur	-	Chairman
2.	Comptroller Examination, Nanaji Deshmukh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya, Jabalpur	-	Member
3.	Director Instructions, Nanaji Deshmukh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya, Jabalpur	-	Member
4.	Dean, College of Vety. Sci. & A.H., Jabalpur	-	Member Secretary
5.	Dean, Student Welfare, Nanaji Deshmukh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya, Jabalpur	-	Member

4.6.3. Management of training Institute shall not issue notification/ advertisement and call for application for admission separately or individually. University shall complete all formalities of concerning subject as per norms.

4.6.4. If a candidate fails to present himself/herself for Counselling or fails to produce the relevant certificates in original in prescribed proforma, he/she shall loose his/her chance of selection of Seat and Institution. However, if he/she produces documents at a later stage, the same may be considered for Counselling in that event, he/she shall be entitled to, select the seat and institution available at that point of time. If a candidate does not turn up even on the last day of Counselling, it shall be deemed that he/she is not interested in taking admission and shall forfeit the right of admission.

4.6.5. If a candidate fails to present himself/herself on the date of Counselling because of serious illness or accident and is admitted in the hospital, then his/her guardian/parents may be permitted to appear in the Counselling on his/her behalf, provided the concerned candidate submits an authority letter to this effect along with a medical certificate issued by the concerned Chief Medical Officer/Civil Surgeon as a proof of with candidate photograph illness or hospitalization. If at any stage it is found that the information provided by the candidate was wrong, then the admission is liable to be cancelled.

4.6.6. Once a candidate has taken admission in an institution during the process of Counselling he shall not be permitted to change it in that phase of counselling.

4.6.7. Once a candidate is admitted in a particular institution through Counselling, no transfer of institution shall be permitted.

4.6.8. If there is subsequent round of counselling, the candidates left over during first round shall be called and shall be allotted to Institutions having vacant seats on the basis of merits and priority.

4.6.9. The successful candidates shall have to deposit fees as prescribed by the Vishwavidyalaya at the time of counselling. The fees once deposited will not be refunded at any cost.

4.7 Cancellation of Admission: -

4.7.1 If at any stage it is found that a candidate has got admission in any institution on the basis of false or incorrect information or by hiding relevant facts or if at any time after admission it is found the admission was given to the candidate due to some mistake or oversight, the admission granted to such a candidate shall be liable to be cancelled forthwith without any notice at any time during the course of his/her studies by the Competent Authority.

4.7.2 The candidates found eligible after counselling will deposit required fees for taking admission. Fees once deposit will not be refunded back at any cost.

5. Tuition and other Fees:-

Tuition and other fees shall be as prescribed by the Academic Council of the Vishwavidyalaya.

6. Modification to rules/procedures:-

The Nanaji Deshmukh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya reserves the rights to amend/provision/rules/procedure for admission.

7. Jurisdiction: - In case of any dispute, the jurisdiction shall be restricted to the Hon'ble High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur only.

v/; k; &3

ik: i

ik: i&01

(देखें नियम 1.09 एवं 1.10)

iz u&i(Lrck ds iz uks@mRrjka ds lca/k ea vH; konu
 %uksV/& ; g i i = doy ijh{kkFkhZ }kjk gh Hkj dj fu/kkFjr l e; kof/k rd
 e.My dk; ky; ea mi yC/k dj kus ij fopkj {k= ea fy; k tk, xk ½

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न-पत्र में निम्नलिखित प्रश्न/उत्तर उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :-

1 000	iz u Øekad@ =fV dk fooj.k mRrj Øekad	lk{; ds : i ea iLrq nLrkost dk fooj.k	l ayXud Øekad

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

vkond ds gLrk{kj-----
 vkond dk uke-----

LFkku -----
 fnukad -----

ik: i&02

1/2ns[ka fu; e 1-9 , oa 1-10 1/2

vkn'kz mRrjka ij vki fRr grq vH; konu
 1/2ukV& ; g i i = dpy ijh{kkFkhZ }kjk gh Hkj dj fu/kkFjr l e; kof/k rd e. My dk; kly;
 ea mi yC/k dj kus ij fopkj {ks= ea fy; k tk, xk 1/2

परीक्षा का नाम	
परीक्षा का दिनांक	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	
प्रश्न पत्र का कोड	
परीक्षा शिफ्ट	
परीक्षा का समय	
परीक्षा शहर का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :-

स.क्र.	विषय	प्रश्न क्रमांक	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर	अभ्यर्थी के अनुसार उत्तर	उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम एवं पता.....

.....

.....

.....

दूरभाष क्रमांक.....

दिनांक

v/; k; &4

SYLLABUS FOR ANIMAL HUSBANRY DIPLOMA ENTRANCE TEST - 2015.

पाठ्यक्रम (SYLLABUS)

(A) Physics

Unit and dimensions, dimensional analysis, S.I. Units, Motion in two dimensions Cases of uniform velocity and uniform acceleration, General relation. between position and velocity, Uniform circular motion, Force and inertia Newton's Laws of motion Conservation of momentum and energy. Static and kinetic friction. Work energy and power collisions, potential energy, gravitational potential energy and its angular conversion to kinetic energy. Potential energy of a spring, Rigid Body rotation and conservation of its momentum. Moment of inertia theorems of Parallel and perpendicular axis. (Moment of inertia of uniform rings, disc, thin rod and cylinder on Ly). Acceleration due to gravity and its variation, Universal law of gravitation, geostationary satellites escape velocity. Hooke's law, Young's modulus shear and bulk modulus, surface energy and surface tension, kinetic theory of gases, gas laws, kinetic energy and temperature. Specific heats at constant volume and constant pressure. mechanical equivalent of heat, isothermal and adiabatic processes. Heat conduction In one dimension, convection and radiation., Stefan's Law and Newton's law of cooling Periodic motion, simple harmonic motion, Oscillation due to spring, Wave motion principle of superposition; Progressive and stationary waves, Beats and Doppler effect. Wave nature of light, Interference, Young's double slit Experiment, Velocity of light and Doppler's effect in light. Reflection, refraction, total internal reflection, curved mirrors, Lenses, mirrors and length formulae" Dispersion in prism, absorption and emission spectra. The human eye, defects of vision magnification and resolving power of telescope and microscope "e" and "e/m" for an electron, Einstein's photoelectric equation, photocells. Bohr model of the atom, Hydrogen spectrum, Composition of nucleus, atomic masses and isotopes radioactivity, laws of radioactive decay, decay constant, half life and mean life, Mass energy relation fission. X-RAY: Properties and uses. Elementary ideas of conductor, semi-conductor and insulator, intrinsic and extrinsic semiconductor p-n Junction as a rectifier. Bar magnet, lines of force, torque on a bar magnet due to magnetic field earth's magnetic field, tangent galvanometer, vibration magnetometer. Coulomb's law of electrostatic, dielectric constant, electric field and potential due to a point charge, dipole, dipole field, Gauss's law in simple geometrics. Electrostatic potential, capacitance, parallel plate and spherical capacitors capacitors in series and parallel, energy of a capacitor. Electric current, Ohm's law, Kirchhoff's laws, resistances in series and parallel temperature dependence of resistance. Wheatstone bridge, potentiometer. Measurement of voltages and currents. Electric power, heating effects of currents, chemical effects and law of electrolysis, thermoelectricity. Biot Savart law. Magnetic fields due to a straight wire circular loop and solenoid. Force on a moving charge in a magnetic field (Lorentz force), Magnetic moment of a current loop, effect of a uniform magnetic field of a current loop, forces between two currents, moving coil, galvanometer, ammeter and voltmeter. Electromagnetic induction induced emf, Faraday's law, Lenz's law, self and mutual inductance alternating currents, impedance and reactance growth and decay of current in L-R circuit, elementary idea of dynamo and transformer.

(B) Chemistry

General and Physical Chemistry

Structure of Atom : Constitution of nucleus : Bohr's atom model : quantum numbers Aufbau principle, electronic configuration of elements (upto-Kr) : de-Broglie relation, shapes of orbitals. Chemical Bond : Electrovalent, covalent and coordinate bonds, hybridization (sp) : hydrogen bond: shapes of molecules (VSEPR theory) : bond polarity, resonance, Elements of VBT MOT. Solutions: Modes of expressing concentrations of solutions: Types of solutions, Raoult's law of colligative properties, non-ideal solution, abnormal molecular weights. Solid State: Crystal lattices, unit cells, Structure of ionic compounds: close packed structure ionic radii, imperfections (Point defects): Properties of solids. Nuclear Chemistry: Radio active radiations: half-life, radioactive decay, group displacement structure and properties of nucleus: Nuclear reaction, disintegration series, artificial transmutation: isotopes and their uses, Radio carbon dating. Chemical Equilibrium: Chemical equilibrium, Law of mass action: KP and KC: Le Chatelier

principle and its application. Ionic Equilibria in solutions, Solubility product, common ion effect, theories of acids and base hydrolysis of salts: pH : buffers. Thermochemistry and Thermodynamics: Energy changes during a chemical reaction: intrinsic energy enthalpy, first law of thermodynamics: Hess's law, Heats of reactions: Second law of thermodynamics: entropy: free energy; spontaneity of a chemical reaction; free energy change and chemical equilibrium; free energy as energy available for useful work. Chemical kinetics, Rate of a reaction, factors affecting the rate, rate constant, rate expression, order of reaction, first order rate constant expression and characteristics, Arrhenous equation. Electrochemistry: Oxidation, Oxidation number and ion-electron methods. Electrolytic conduction. Faraday's laws; voltaic cell, electrode potentials, electromotive force, Gibb's energy and cell potentials. Nernst equation, commercial cells, fuel cell, electrochemical theory of corrosion. Surface chemistry, Colloids and Catalysis; Adsorption, Colloids (types preparation and properties), Emulsions, Micelles, Catalysis: Types and characteristics.

Inorganic Chemistry:

Principles of metallurgical-operations : Furnaces, ore concentration, extraction, purification metallurgies of Na, Al, Fe, Cu, Ag, Zn and Pb and their properties. Chemical periodicity : s, p, d and f-block elements, periodic Table: periodicity : atomic and ionic radii valency, ionization energy, electron affinity electronegativity, metallic character.

Comparative study of elements: Comparative study of the following families of elements: (i) alkali metals (ii) Alkaline earth metals (iii) Nitrogen family (iv) Oxygen family (v) Halogens (vi) Noble gases.

Transition metals: Electronic configuration of 3d-metal ions, oxidation states, other general characteristic properties, Potassium permanganate, Potassium dichromate.

Co-ordination compounds: Simple nomenclature, bonding and stability, Classification and bonding in organometallics.

Chemical analysis: Chemistry involved in simple inorganic qualitative analysis: Calculations based on acid-base titrimetry.

Organic Chemistry :

Calculation of empirical and molecular formula of organic compounds, Nomenclature of organic compounds common functional groups isomerism structure and shapes of alkanes and benzene.

Preparation properties and uses of alkynes, alkyl, benzene, petroleum, cracking octane number, gasoline additives.

Nomenclature, Physical chemical properties, correlation of physical properties with structure properties and uses of haloalkanes, alcohols and phenols: General ideas of some polyhalogen compounds viz., dichloroethanes, dichloroethers, chloroform carbon tetrachloride D.D.T. benzene hexachloride.

Nomenclature, methods of preparation, Chemical properties correlations of physical properties with structure and uses of ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids and their derivatives, Brief account of the chemistry of cyanides, isocyanides, amines and nitrogen compounds.

Polymers: Classification: Preparation and uses of common natural and synthetic polymers.

Biomolecules: Classification, Structure and biological importance of carbohydrates amino acids, peptides, protein and enzymes, nucleic acids and lipids.

C. GENERAL STUDIES (20 Question)

1. General Science and Environment
2. Geography, History, Sport and Culture of M.P.
3. Information and Communication Technology

Note:- Up to the level of 11th & 12th

। gefr i æk.k&i =

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा **Animal Husbandary Diploma Entrance Test - 2015** के लिए तैयार की गई नियमपुस्तिका में उल्लेखित समस्त नियम व जानकारी की पुष्टि व सहमति प्रदान की जाती है तथा अध्याय-1 से 4 तक में दी गई समस्त जानकारी के संबंध में किसी भी विवाद आदि के लिए यह विभाग जवाबदेह होगा। तैयार नियमपुस्तिका के अनुसार परीक्षा आयोजन में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है तथा परीक्षा आयोजन के संबंध में विभाग अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

तदनुसार यह सहमति प्रमाण-पत्र सत्यापित/हस्ताक्षरित कर प्रदान किया जाता है।

भोपाल, दिनांक :

सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम :.....

पदनाम :.....

सील :.....
